NOTICE !

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

कक्षा 08 की विशेष परीक्षा, 2025 से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या – 29/2025

एतद् द्वारा संबंधित सभी परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा, 2025 में अनुत्तीर्ण तथा सम्मिलित होने से वंचित छात्र/छात्राओं के लिए कक्षा आठ की विशेष परीक्षा, 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र भरने से छूटे हुए छात्र/छात्राओं का परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन भराया जायेगा। अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का परीक्षा आवेदन प्रपत्र पुनः भरने की आवश्यकता नहीं होगी, उनका प्रवेश पत्र स्वतः निर्गत किया जायेगा। परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित सभी निर्देश परिषद् के वेबसाईट पर उपलब्ध है। उक्त का अवलोकन कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र ससमय भरना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित विद्यालयों के मुख्य परीक्षा से वंचित छात्र/छात्राएँ ही कक्षा आठ की विशेष परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होने योग्य माने जायेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अनुमोदन (Online approval) के उपरान्त कक्षा आठ की परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रपत्र भरने हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये User ID एवं Password का उपयोग करते हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरा जा सकेगा। विद्यालय प्रधान User ID एवं Password का ही उपयोग कर निम्न कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरेंगे :–

- ऑनलाईन परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि – 25.06.2025 से 07.07.2025 तक ।

परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम बाद में प्रकाशित की जाएगी।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह0/–
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JAC/Gop./1623/19-Secy/603/25
Dt. – 23.06.2025

PR 355826 Jharkhand Academic Council (25-26)_D

📢 JAC कक्षा 8 विशेष परीक्षा 2025 – महत्वपूर्ण सूचना

झारखंड बोर्ड द्वारा 2025 की कक्षा 8 की विशेष परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। वे छात्र/छात्राएं जो बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित नहीं हो सके थे, वे अब इस विशेष परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

🗓️ आवेदन की अंतिम तिथि: 25 जून 2025 से 7 जुलाई 2025

🌐 आवेदन लिंक: https://jac.jharkhand.gov.in/

📌 स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे छात्र का विवरण सही ढंग से भरें और ऑनलाइन अनुमोदन करें।